



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257809
CG-DL-E-10102024-257809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4030]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2024/आश्विन 18, 1946

No. 4030]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2024/ASVINA 18, 1946

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 4393(अ).— दिनांक 17.8.2006 को अधिसूचित और दिनांक 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है), के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में उनके कार्यकाल तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्वधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री)	पदनाम	तैनाती का स्थान	योग्यता	प्रस्तावित पद पर नियुक्ति
1.	ऋषिका शरण	मुख्य अभियंता	सीईआई	एम.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	मुख्य विद्युत निरीक्षक
2.	उमा महेश्वर राव भोगी	निदेशक	आरआईओ (दक्षिण)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	विद्युत निरीक्षक

3.	अलोक कुमार	उप निदेशक	सीईआई	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	विद्युत निरीक्षक
4.	कुमारी समिता	उप निदेशक	सीईआई	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	विद्युत निरीक्षक
5.	सोम व्रत त्रिपाठी	उप निदेशक	आरआईओ (उत्तर)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	विद्युत निरीक्षक
6.	दीपांशु रस्तोगी	उप निदेशक	आरआईओ (उत्तर)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	विद्युत निरीक्षक
7.	श्रीजीत मुखर्जी	उप निदेशक	आरआईओ (पूर्व)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल)	विद्युत निरीक्षक
8.	राजीव दास	सहायक निदेशक-I	आरआईओ (उत्तर-पूर्व)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग)	विद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त अधिकारी समय-समय पर संशोधित, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपर्युक्त अधिकारी किसी वैद्युत कार्य अथवा संस्थापना, जिनका निष्पादन अथवा रख-रखाव उनका दायित्व, के संबंध में अपने संबन्धित पद पर मुख्य वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे, जिसे केन्द्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/4/2023-आर एंड आर]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 4393(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, Power and Function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspector Rules, 2006 (herein after called the said Rules) notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officers of Central Electricity Authority as Chief Electrical Inspector /Electrical Inspectors for CEA, from the date of this Notification till their tenure in CEA or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfillment of the qualification and Condition mentioned in the said Rules:

S.No.	Name (Shri/Smt)	Designation	Place of posting	Qualification	Proposed to be appointed as
1	Rishika Sharan	Chief Engineer	CEI	M.Tech (Electrical Engineering)	Chief Electrical Inspector
2	Uma Maheshwara Rao Bhogi	Director	RIO (South)	B. Tech (Electrical Engineering)	Electrical Inspector
3	Alok Kumar	Deputy Director	CEI	B. Tech (Electrical Engineering)	Electrical Inspector

4	Kumari Samita	Deputy Director	CEI	B. Tech (Electrical Engineering)	Electrical Inspector
5	Som Vrat Tripathi	Deputy Director	RIO (North)	B. Tech (Electrical Engineering)	Electrical Inspector
6.	Deepanshu Rastogi	Deputy Director	RIO (North)	B. Tech (Electrical Engineering)	Electrical Inspector
7	Srijit Mukherjee	Deputy Director	RIO (East)	B.E. (Electrical)	Electrical Inspector
8	Rajib Das	Assistant Director-I	RIO (North East)	B. Tech (Electrical & Electronic Engineering)	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform their functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the jurisdiction of CEA, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that above said officers do not function as the Chief Electrical Inspector/Electrical Inspectors in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is their responsibility.

The officers appointed as Chief Electrical Inspector/Electrical Inspectors shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/4/2023-R&R]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.